्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

्रण सख्या : 47/2021

1. चौथमल
2. बाबूलाल
3. पांचूलाल
4. रामप्रसाद

पुत्रान बजरंगलाल जाति चमार निवासीगण श्यामपुरा तहसील मांगरोल हाल निवासी साकली

...... वादीगण

बनाम

1. मदनलाल
2. रामकुवांर

पुत्रान बजरंगलाल जाति चमार निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल हाल निवासी साकली तहसील बारां

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर.टी.एक्ट में संशाधित निर्णय

पीठासीन अधिकारी : शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
दायर दिनांक–19.03.2021

निर्णय दिनांक : 23.03.2021

उक्त उनवान के प्रकरण संख्या 51/2018 में सुनाये गये निर्णय दिनांक 15.06.2018 के अनुसार ग्राम श्यामपुरा की आराजी खाता संख्या 71 खसरा नं0 394/546 रकबा 0.96 है0 व आराजी खाता संख्या 99 खसरा नं0 308 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 394/487 रकबा 0.31 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 आराजी में वादीगण को प्रतिवादी कमं 1 व 2 के साथ बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये थे।

उक्त निर्णय के संदर्भ में अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 07.01.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त निर्णय में सहवन से ग्राम श्यामपुरा की आराजी खसरा नं0 388 रकबा 0.52 है0 के स्थान पर खसरा नं0 308 रकबा 0.52 है0 प्रिन्ट हो गया है। सही खसरा नं0 388 रकबा 0.52 है0 के समर्थन में अधिवक्ता वादी द्वारा ग्राम श्यामपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 99 प्रस्तुत की तथा निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 15.06.2018 में संशोधन किया जाकर खसरा नं0 308 के स्थान पर खसरा नं0 388 दुरूस्त किया जायें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.03.2021 को दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिनांक 15.06.2018 व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूकि वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम श्यामपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 99 में खसरा नं0 388 रकबा 0.52 है0 दर्ज है जबकि निर्णय दिनांक 15.06.2018 में खसरा नं0 308 रकबा 0.52 है0 दर्ज है।

अतः संलग्न दस्तावेजात एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय दिनांक 15.06.2018 में अंकित ग्राम श्यामपुरा की आरजी खसरा नं0 308 के स्थान पर खसरा नं0 388 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। संशोधित निर्णय प्रकरण संख्या 51/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 का हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सरेईजलास मजमेआम में सुनाया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल (शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल